फर्द अहकाम
(नियम 26)
सेशन प्रकरण सं. 12/2025
सरकार बनाम सुखप्रितसिंह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | |
|---|---|---|
| | <u>दिनांक 02.05.2026</u><br><br>अपर लोक अभियोजक उपस्थित।<br>अभियुक्त सुखप्रितसिंह मय अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित । अभियुक्त सुखप्रितसिंह ने एक प्रार्थना पत्र पेश करके जाहिर किया कि प्रस्तुत प्रकरण में जप्तशुदा नारकोटिक पदार्थ की मात्रा काफी कम है, जोकि अल्प मात्रा से थोडी ही अधिक 2 किलो 240 ग्राम है । अभियुक्त सन 2025 से अंवीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त स्वेच्छया से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है । प्रार्थी मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। प्रार्थी भविष्य में अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा । अतः प्रकरण के गुणावगुण पर न जाकर लोक अदालत की भावना से सजा के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर इसी स्टेज पर निस्तारित किया जावे ।<br>अभियुक्त प्रार्थी के उक्त् लिखित कथनों एवं मौखिक अभिवचनों को धारा 229 सीआरपीसी के तहत माना जाकर प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जा रहा है। अतःअभियुक्त् सुखप्रितसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषसिद्व घोषित किया जाता है।<br><br><u>सजा के बिन्दू पर</u><br><br>सजा के बिन्दू पर सुना गया । अभियुक्त् ने जाहिर किया कि वह गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है एवं किसान मजदूर परिवार से है। अभियुक्त लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि नरमी का रूख अपनाया जावे ।<br>अपर लोक अभियोजक ने इन तर्को का विरोध किया।<br>पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त लगभग दो वर्षो से अंवीक्षा भुगत रहा है एवं अभियुक्त से दो किलो दो सौ चालीस ग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद हुआ है जबकि 1000 ग्राम तक की मात्रा अल्प मात्रा में आती है। अभियुक्त् ने लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकार किया है अतः अभियुक्त् के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना उचित प्रकट होता है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त् सन 2025 से प्रस्तुत प्रकरण में अंवीक्षा भुगत रहा है। जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **हरिपदादास बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल (1998) 9 एससीसी पेज 678** में यह विधिक सिद्वान्त प्रतिपादित करता है कि लम्बे समय से ट्रायल भुगतने के तथ्य को अभियुक्त के पक्ष में Conviction की स्टेज पर सहानुभूतिपूर्वक लेना चाहिए। | |

उक्त् समस्त विश्लेषणानुसार अभियुक्त् सुखप्रितसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्व किया जाता है।

**दण्डादेश**

अभियुक्त सुखप्रितसिंह पुत्र अवतारसिंह उम्र 42 साल निवासी रंगिया पुलिस थाना सदर धुरी जिला संगरूर पंजाब को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्व किये जाने परः-

1. अभियुक्त सुखप्रितसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध दोषसिद्व किये जाने पर अभियुक्त को 10 दिवस का कठोर कारावास व 2500/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

2. अभियुक्त की सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त द्वारा पूर्व में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि उसकी मूल सजा में समायोजित की जावे। अभियुक्त का सजा वारंट पृथक से तैयार किया जावे।

3 धारा 363 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत इस निर्णय व दण्डादेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

4 अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

सजा वारण्ट बनाया जावे। आदेशानुसार अभियुक्त ने अर्थदण्ड राशि 2500/–रू जरिये ई चालान जीआरएन 0122851400 जमा करवाई गई जो डीफेस की गई। ई चालान की एक प्रति प्रभारी लेखा शाखा जिला न्यायालय चूरू को प्रेषित की जावे।

पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।